

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—सामा./आर.एच./14/43

दिनांक: 13-11-14

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर / भीलवाड़ा / सीकर / चित्तौड़गढ़ / चूरु / दौसा / गंगानगर /  
हनुमानगढ़ / झालावाड़ / झुन्झुनू / नागौर / पाली /  
सवाईमाधोपुर / टोंक (राजस्थान)।

विषय:— शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत आवंटित बजट का उपयोग करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक ए.4( )लेखा / बजट प्लान/आवं/14-15/812 दिनांक 07.11.2014 के द्वारा शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु बजट का सलंगन तालिका अनुसार किया गया है। अतः बजट का उपयोग समय से करें एवं व्यय का विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।

सलंगन— उपरोक्तानुसार

अति० निदेशक (ग्रा०स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—सामा./आर.एच./14/43

दिनांक: 13-11-14


प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, राज०, जयपुर।
2. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज० को निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यक्रम की मोनिटरिंग सुचारू रूप से की जावे एवं की गई कार्यवाही की सूचना निदेशालय में फैंक्स न० 0141-2224831 पर समय से भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम को नेट पर शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

55020/30 (8) 9/11/14  
9414212333 606

S.No.	Name of District	Total School	Medicines Rs. @ 175/per School	Contingency Rs. 15000/ per C.M.H.O.	POL Rs.30000/ per C.M.H.O.	Total
1	Alwar	3495	611625	15000	30000	656625
2	Bhilwara	3551	621425	15000	30000	666425
3	Chitorgarh	2140	374500	15000	30000	419500
4	Churu	1942	339850	15000	30000	384850
5	Dausa	1794	313950	15000	30000	358950
6	Ganganagar	2330	407750	15000	30000	452750
7	Hanumangarh	1354	236950	15000	30000	281950
8	Jhalawar	1908	333900	15000	30000	378900
9	Jhunjhunu	2253	394275	15000	30000	439275
10	Nagaur	3835	671125	15000	30000	716125
11	Pali	2321	406175	15000	30000	451175
12	sikar	2844	497700	15000	30000	542700
13	S.Madhapur	1597	279475	15000	30000	324475
14	Tonk	2124	371700	15000	30000	416700
	<b>Total</b>	<b>33488</b>	<b>5860400</b>	<b>210000</b>	<b>420000</b>	<b>6490400</b>

  
 (बतिरिक्त दे या स्वा.)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
 राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

PAR/1619

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

Dated 11/11/14

क्रमांक:-ए.4( )लेखा/बजट प्लान/आवं/14-15/812 दिनांक 07-11-2014

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :-शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट आवंटन बाबत।

संदर्भ:-अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) की अनौ0 टि0 क्रमांक:आरएच/14/42 दिनांक 05.11.2014

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रु. 64.90400 लाख (अक्षरे राशि रु. चौंसठ लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र) का बजट 2210-06-112-01-00 शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम 28-विविध व्यय लेखाशीर्ष में आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Rs. in lacs
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	6.56625
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	6.66425
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ	4.19500
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ(चुरु)	3.84850
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा	3.58950
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	4.52750
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ	2.81950
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड	3.78900
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	4.39275
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	7.16125
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	4.51175
12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	5.42700
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर	3.24475
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	4.16700
	कुल योग:-	64.90400

(अक्षरे राशि रु. चौंसठ लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र)

नोट:-1.आवंटित राशि के व्यय के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक:-ए-4 (1) लेखा/बी. एनपी/14-15/1 दिनांक 01.04.2014 एवं 496 दिनांक 06.08.2014 में दिये गये अनुदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

2. आवंटित राशि का उपयोग राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 ( )लेखा/बजट प्लान/14-15/812

प्रतिलिपि :- अतिरिक्त निदेशक (ग्रामस्वा) मुख्यालय को उनकी अ0टी क्रमांक 42 दिनांक 05.11.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक 07-11-14



लेखाधिकारी (बजट)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।